Sign... Part... Pleaders ... necessar...

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.

Case No. 984/22
Summary No. 432/2022

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ ---- अभियोगी
जिला मंदसौर म.प्र.।

बनाम

संजय कुमार पि. रामधारसिंह
उम्र-39 वर्ष नि.-- झारखंड ----अभियुक्त

{अपराध विवरण}

आज दिनांक 11/10/22 को विरचित

मैं साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नारायणगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.) आप अभियुक्त संजय कुमार पिता रामधार सिंह उम्र 39 वर्ष निवासी- झारखंड के विरूद्ध निम्नलिखित अपराध विवरण की विशिष्टया निर्मित कर पढकर सुनाता समझाता हू कि :-

01- आपने दिनांक 24/09/22 को समय 1:30 से 1:50 बजे के दरमियान लोढ़ाखेड़ा फंटा ग्राम लोढ़ाखेड़ा मंदसौर पुलिस थाना नारायणगढ जिला मंदसौर क्षेत्र अतर्गत बिना किसी अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में 16 पाव देशी प्लेन / मसाला शराब रखी या उक्त शराब का परिवहन किया, जो कि धारा 34(1-क) म.प्र आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत दडनीय अपराध है और इस न्यायालय के सज्ञान में आता है।

क्या आप प्रकट करो कि अपराध स्वीकार करना चाहते हो अथवा प्रतिरक्षा करना चाहते हो।

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

अभियुक्त का अभिवाक:-

अभियुक्त को उक्त अपराध की विशिष्टिया पढकर सुनाई व समझाई गई तो उसका अभिवाक है कि- अपराध स्वीकार है

संजय कुमार सिंह

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नारायणगढ जिला मंदसौर (म.प्र.)

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

In the court of **Sazid Mohammad Judicial Magistrate First Class, Narayangarh, District Mandsaur.**

Case No 984/22
Summary No 432/2022

शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र नारायणगढ़ ------ अभियोगी
जिला मंदसौर म.प्र.।

बनाम

रंजय कुमार पिता रामधार सिंह ------ अभियुक्त
उम्र - 39 वर्ष नि. - झाड़ी

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 11/10/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान मे लोगो मे नशा करने की प्रवृत्तियां बढ रही हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियो पर विचार उपरात अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानो का लाभ नही दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एव 500/ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नही किये जाने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण मे जप्तशुदा शराब विधिवत नष्ट की जावे।

स्थान -- नारायणगढ मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
दिनाक -- 11/10/22

(साजिद मोहम्मद)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
नारायणगढ जिला मदसौर म प्र